

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/एम-193/88/अलेसे -III/ 1261

दिनांक :- 18.12.2017

आदेश संख्या: 256/2015-16

श्री महावीर प्रसाद (लिंक नं. 4849) कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश संख्या 6333-34 दिनांक 18.09.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि० 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.11.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसका कार्यवाही विवरण वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा जारी किया गया है, उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार समिति द्वारा श्री महावीर प्रसाद, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री महावीर प्रसाद, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर इन्हें कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, सुजानगढ़ चूरु में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व लम्बित विभागीय जांच के निर्णय के अध्वधीन किया जावेगा।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/एम-193/88/अलेसे -III/ 1261

दिनांक :- 18-12-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, चूरु।
3. निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, सुजानगढ़, चूरु।
4. श्री महावीर प्रसाद (लिंक नं. 4849) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, सुजानगढ़ चूरु।
5. एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)।
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


अति० निदेशक (कार्मिक-III)